उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–4
संख्या–4622/77–4–22–02अपील/22
लखनऊ : दिनांक 07 अगस्त, 2023

उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कन्सलटेन्ट्स लिमिटेड पंचम तल, हैण्डलूम भवन, जी.टी.रोड, कानपुर–208002

बनाम

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण एण्ड अदर्स

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 19.06.2020 के विरूद्ध यह पुनरीक्षण याचिका दायर की गयी है। प्रकरण यह है कि पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी (उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कन्सलटेन्ट्स लिमिटेड) को नोएडा द्वारा 30.06.1979 में कार्यालय हेतु जगह आवंटित किया गया। प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.06.2020 के द्वारा उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कन्सलटेन्ट्स लिमिटेड कम्पनी (यूपीको) को अस्थाई रूप से अनुज्ञा आधार पर आवंटित निर्मित परिसम्पत्ति का लम्बे समय से बकाया किराया न जमा करने के कारण आवंटन निरस्त किया गया है।

2– यूपीको द्वारा दायर किए गए रिवीजन को निर्णीत करते हुए इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि उनके द्वारा किराये पर लिए गए पैरामाईसिस के बकाया किराए की राशि को प्राधिकरण द्वारा किराये की बकाया धनराशि संसूचित करने के 60 दिन के अन्दर जमा की जाएगी।

3– उपरोक्त पैरामाईसिस का किराया इन्स्टीट्यूशनल सम्पत्ति के किराये के दरों पर तथा यूपीको के साथ प्राधिकरण का समय–समय पर हुए रेन्टल एग्रीमेंट पत्र (27.07.1980 व 29.09.1986) के अनुसार की जाएगी। उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण किए जाने तथा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.06.2020 स्थगित किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त देय किराये की राशि संसूचित किए जाने की तिथि से 60 दिन के अन्दर यूपीको द्वारा बकाया राशि जमा न किए जाने की दशा में आवंटन निरस्तीकरण आदेश दिनांक 19.06.2020 स्वतः प्रभावी हो जाएगा।

Manoj 6.8.23
(मनोज कुमार सिंह)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्याः–4622 (1)/77–4–22 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. अधिकृत हस्ताक्षरी, उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल कन्सलटेन्ट्स लि0, पंचम तल, हैण्डलूम भवन, जी.टी. रोड, कानपुर–208002
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।